न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–247/2013 (जीसीएमएस नं. 2013/00042)

01. कालू पुत्र रूघनाथ,
02. माना उर्फ हनुमान सहाय पुत्र रघुनाथ उर्फ रूघनाथ, जाति माली निवासी आडा गेला टांकरडा तहसील चौमू जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

01. बोदू पुत्र कानाराम,
02. नानूराम पुत्र मुरलीधर,
03. मालीराम पुत्र मुरलीधर,
04. नानूराम पुत्र भूरामल,
05. चन्दा लाल पुत्र भूरामल,
06. गोपाल लाल पुत्र भूरामल,
07. छीतर पुत्र चौथू,
08. जगदीश पुत्र चौथू,
09. श्यामा पुत्र चौथू,
10. श्यामलाल पुत्र सूजा,
11. बाबूलाल पुत्र गोपाल,
12. मांगी बेवा गोपाल,
    समस्त जातियान मालीयान निवासी आडा गेला पटवारी हल्का टांकरड़ा तहसील चौंमू जिला जयपुर, राजस्थान।
13. सूरजमल,
14. रूघनाथ,
15. गोपाल,
16. छीतर पि. चौथू जातियान कुमावत निवासी आडा गेला तहसील चौमू जिला जयपुर।
17. गंगाराम पुत्र नाथू,
18. सत्यनारायण पुत्र नाथू,
19. रामधन पुत्र नाथू, जातियान कुम्हार निवासीयान आडा गेला तहसील चौमू जिला जयपुर।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौंमू जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री बंशीधर जाट एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री मिखल अग्रवाल एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 13.12.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2012 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित एकपक्षीय पारित किया गया है जिसमें अपीलान्ट को बिना विधिवत तामील करवाये ही तामील कुलिन्दा से विधि विरूद्ध तामील नोटिस पर रिपोर्ट करवाकर एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया गया है जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित है तथा रेसज्यूडिकेटा के श्रेणी में आता है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं ने यह अभिकथन किया है कि दिनांक 06.11.2009 को पत्रांक 3976 के द्वारा तहसीलदार चौमू ने पुलिस इमदाद मे पत्थरगढी के आदेश दिये गये थे उसके उपरान्त भी समस्त जानकारियॉ होते हुऐ भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा वर्जित था इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अविवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण अपने बुजुर्गो के समय से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा भूमि खसरा नम्बर 471/800 पर अपीलान्ट्स का कब्जा चला आ रहा है तथा इसमें 20 वर्ष पूर्व से ही फलदार पेड़ लगाये हुये है व मिट्टी की डोल लगा रखी है जिसका हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेन्ट के दबाव में आकर गलत सीमांकन रिपोर्ट पेश की गई है जबकि हल्का पटवारी आज दिनांक तक कभी भी मौके पर न ही गया तथा स्वयं के कार्यालय में बैठकर हल्का गिरदावर के दवाब में रिपोर्ट तैयार की गई है। इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त आराजीयात पूर्व में रिसीवरी में थी जिसको दिनांक 30.05.2011 को मुक्त किया गया है जिससे यह जाहिर है कि यदि रिसीवरी में भूमि मुक्त की गई तो कब्जा किस व्यक्ति को दिया गया तथा यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का कब्जा था तो अपीलान्ट द्वारा भूमि पर अतिक्रमण किस दिनांक को किया गया व जिसके बाबत रेस्पोडेन्ट द्वारा आज तक कार्यवाही क्यों नही की गई जो स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है। इसलिये भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.07.2012 खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 2 व 3 ने कथन किया है कि वाद संख्या 50/93 उनवानी कानाराम बनाम राजस्थान सरकार की डिक्री दिनांक 15.06.2009 को जारी की गई थी जिसकी पालना में पक्षकरों के मध्य विभाजन किया जाकर अलग-अलग खाते कायम किये गये है जिसका इन्द्राज राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में हो चुका है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी अराजी का तहसीलदार चौमू द्वारा दिनांक 28.10.2009 को एवं दिनांक 13.06.2011 को सीमाज्ञान

विधिवत कराया गया है जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट को किसी प्रकार का उज्रात करने का कानूनन अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार को अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने के कानूनी अधिकारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रदत्त है तथा हस्तगत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वाद संख्या 50/93 की डिक्री दिनांक 15.06.2009 के अनुसरण पक्षकरों के मध्य विभाजन किया जाकर अलग–अलग खाते कायम किये गये है तथा बोदू, नानूराम, मालीराम की आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 28.10.2009 व 13.06.2011 किया गया है जिसके अनुसार पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2012 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2012 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर